

सीमा शुक्क प्रधान आयुक्त का कार्यामय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS हवाई अइडा और एयर कार्गा कॉप्लेक्स आयुक्तामय AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE देवनहन्ती, बॅगन्र / DEVANAHALLI BENGALURU- 560300.

लोक स्थना सं/ PUBLIC NOTICE NO.51/2020-दिनांक/ DATED:18.09.2020 दस्तावेज पहचान सं/ DIN: 20200972MP00001IBE88

विषय: गोदाम में उत्पादन और अन्य कार्यकलापों के विनियमन और अधित्याग -आई.सी.ई.एस

Subject: - Manufacturing and other operations in a Warehouse Regulations (MOOWR) and waiver of interest - Changes in ICES - Reg.

सभी आयातकर्ता, निर्यातकर्ता , कोरियर कंपनी और अन्य पणधारियों का ध्यान सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61 की ओर ध्यानाकर्षित किया जा रहा है , जहां घरेलू उपयोग के लिए सेक्शन 65 गोदाम से वस्तुओं की निकासी के लिए दायर किये एक्स बांड आगम बिल के संबंध में ब्याज़ की उगाही नहीं की जाएगी ।

Attention of the Importers, Exporters, Courier Companies and all other Stakeholders is invited to the Section 61 of the Customs Act, 1962 wherein no interest is leviable on Ex-Bond Bills of Entry filed for clearing the goods for home consumption from a Section 65 warehouse.

2. इस संदर्भ में, प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय द्वारा दिनांक 16.09.2020 को सलाह सं 33/2020 जारी की गई है और उसका विषय वस्तु सभी संबंधित को समर्थन एवं अनुपालन हेतु सूचित किया जा रहा है।

In this context, Advisory No: 33/2020, dated.16.09.2020, is issued by the Directorate of Systems and Data Management, CBIC and the contents of the same are brought to the notice of all concerned for adherence and compliance.

आई.सी.ई.एस में निम्नलिखित बदलाव किया गया है। 3.

The following changes have been made in the ICES:

3.1. आई.ई.सी गोदाम मैपिंग /IEC - Warehousing Mapping: एम.ओ.ओ.डबिल्यू आर के अधीन उत्पादन कार्यकलाप के लिए लाईसेंसे प्रदत्त गोदाम को पहचानने के लिए , ए.सी.बी के अधीन एक विकल्प दिया गया है यानी आई.ई.सी गोदाम मैपिंग मेनू में एसी(बंध पत्र) रोल, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा लाईसेंस प्रदत्त करने पर सिस्टम में मैपिंग करने के लिए आई.ई.सी एवं गोदम कोड को इंदराज करें । यह मैपिंग धारा 65 के अधीन दायर किये गए आगम बिल को मान्यता देने के लिए उपयोग किया जाता है।

For identifying the Warehouses which have been licensed for manufacturing activity under the MOOWR, an option has been given under the ACB i.e. AC (Bonds) role in IEC-Warehouse Mapping menu in order to enter the IEC and Warehouse Code for the purpose of mapping in the System once the license has been granted by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs. This mapping will be used to validate the Bills of Entry filed with Sec 65 declaration.

3.2. एक्स बंध पत्र आगम बिल के घोषणा में बदलाव/ Changes in the declaration of Ex-Bond Bill of Entry:आईस गैट वेब साईट (https://icegate.gov.in/msg guideline.html) में आगम बिल का अद्यतन सूचना फार्मेट में अपलोड किया गया है । आगम बिल के BE ITEM_SW_CTRL. ब्यौरा में बदलाव किया गया है । अनुलग्नक । में इन बदलावों का फील्ड स्तर का विवरण दिया गया है । यह अतिरिक्त सूचना धारा 65 गोदाम में उत्पादन करने के बाद घरेलु निकासी के दायर किये जानेवाले एक्स बंध पत्र आगम बिल से संबंधित है और ऐसे एक्स बंधपत्र आगम बिल के प्रत्येक वस्तु के प्रस्तुत करना चाहिए । तदनुसार एक्स बंध पत्र आगम बिल में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की निकासी एक विशिष्ट धारा 65 गोदम से करने पर ब्याज़ नहीं लगाया जाता 青日

An updated BE message format has been uploaded on ICEGATE website (https://icegate.gov.in/msg_guideline.html). Changes have been made in the BE_ITEM_SW_CTRL table of the BE. Annexure 1 gives the field level details of these changes. This additional information pertains to Ex-Bond BEs filed for home clearance after manufacturing in the Sec 65 Warehouse and is required to be furnished for every item in such Ex Bond BE. Accordingly, items covered under Ex-Bond BE cleared from the particular Sec 65 Warehouse will attract no interest.

3.3. पुन: निर्यात के मामले में डबिल्यू बी ई लेडजर को री क्रेडिटिंग : Re-crediting of WBE Ledger in case of Re-export: धारा 65 गोदाम से निर्यात किये जानेवाले परिणामी उत्पाद/उत्पादित वस्तुओं के एसीबी रोल में मेनु में गोदाम आगम बिल लेडजर को संबंधित लदान बिल के विवरण को निर्यात डबिल्यूएचबीई विकल्प के जरिए रीक्रेडिट करने के लिए विकल्प दिया गया है।

In case of export of the resultant goods/finish products from the Sec 65 warehouse, option has been given under the ACB role menu to re-credit the Warehouse BE ledger by entering the concerned Shipping Bill details through Exports details of WHBE option.

4. दिनांक 21.09.2020 से उपर्युक्त बदलाव लागू होगा । अतः आयातकर्ता, सीाम शुल्क ब्रोकर्स एवं सभी पण धारियों को सलाह दिया जाता है कि दिनांक 21.09.2020 से नए आगम बिल मेसेज फारमेट का संदर्भ ले ।

The above changes will come into effect from 21.09.2020. Hence, Importers, Customs Brokers and all stake holders are advised to refer to the new BE message format for filing the Bills of Entry w.e.f. 21.09.2020.

5. अधिकारियों के लिए इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों के अनुसार ली जानेवाली कार्रवाई स्थायी आदेश के रूप में माना जाना है।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

6. उपर्युक्त सभी संबंधित को सूचित किया जा रहा है। कुछ तकलीफ हो तो अपर आयुक्त, एयरपोर्ट एवं एयर कार्गों कांप्लेक्स, आयुक्तालय, देवनहल्ली, बैंगल्ह को निम्न लिखित ई मेल पता में सूचित किया जा सकता है। E-mail-:cusaccblr.tech@gov.in.

The above is brought to the notice of all the concerned. Difficulties, if any, may be brought to the notice of The Additional Commissioner of Customs, Air Port and Air Cargo Complex Commissionerate, Devanahalli, Bengaluru, E-mail-:cusaccblr.tech@gov.in.

3/21/05

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त /PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं /Issued from File C.No. VIII/48/97/2020 BACC TECH pt file 2 के तहत जारी किया जाता है

प्रति प्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूरु, अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन, बेंगलूरु The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building, Bengaluru.

Copy to:

1एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय, बेंगल्रू के सभी अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru

- 2) फेडरेशन ऑफ कर्नाटका , चेंबर ऑफ कामर्स एवं उद्योग(एफ.के.सीसीआई) सं 9996, कॅपेगाँडा रोड, गांधीनगर, बेंगल्रू Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru.
- 3)बेंगलूरु सीमा शुल्क ब्रोकर्स संगठन, 71, कार्गो विल्लेज, बी ब्लाक, बेंगलूरु ,अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट , देवनहल्ली , बेंगलूरु

Bangalore Customs Brokers Association, No.71, Cargo Village, B-Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru
4) सभी एयर लाईन्स उनके संगठन द्वाराAll Airlines through Association.

5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहला तल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु|Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru

- 6) सभी संरक्षकों / All Custodians
- 7) . बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट Bengaluru Customs Website
- 8) सूचनापट्ट /Notice Board.
- 9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (through Courier Association)
- 10) मास्टर फाईल/ Master file

अनुसरनक 1

अनुलग्नक /ANNEXURE 1

आगम बिल के बी ई आई टी ई एम एस डविल्यू सीटीआरएल ब्यौरा में घोषणा

Declaration in the BE ITEM SW CTRL table of the Bill of Entry

फील्ड नाम Field Name	घोषणा /Declaration	टिप्पण/Remarks
Ctrl_slno	Control Serial No starting from 1	
Ctrl_cd	Fixed Value 'SEC65'	
Ctrl_loc	10-digit Warehouse code of the Sec 65 Warehouse	
Ctrl_start_dt	Warehousing Date	
Ctrl_res_cd	GST Invoice No under which the finished products manufactured by using this item in the BE were cleared	Max 16 digits. In case the finished products were cleared under more than one invoices, Ctrl_slno can be used to give multiple records for multiple invoices
Ctrl_end_dt	GST Invoice Date	Secretarian de minima de constante de la const
Ctrl_res_txt	Goods Description of Finished Product	First 8 characters will be valid CTH code of finished product followed by a pipe delimiter (), then followed by Goods description
Ctrl_msr	Quantity of the finished product cleared under this Invoice	
Ctrl_uqc	Unit Quantity Code of the finished products	